(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 274 / 2016

बउनवान

1. भीमसेन आयु 70 वर्ष पुत्र श्री श्योराम जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील अटरू
2. रामकरण आयु 50 वर्ष पुत्र लटूरलाल जाति मीणा निवासी केरवालिया तहसील अटरू

(अपीलांट)

बनाम

1– प्रेम आयु 55 वर्ष पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी केरवालिया तहसील अटरू
2– श्याम आयु 50 वर्ष पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी केरवालिया तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्र. 1 व 2)

निर्णय दिनांक 25.09.2019

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2016 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवान प्रेम बनाम भीमसेन मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 10.11.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अभियान केम्प दिनांक 14.6.2016 को सीमाज्ञान बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान किया है, के आधार पर अपीलांन्ट्स को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर मनमाना निर्णय पारित करने मे विधि की भारी भूल की है अस्तू निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के विपरीत प्रभावहीन विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 बी राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो एवं प्रक्रिया तथा विधि की अनुपालना किये बिना ही अपीलान्ट्स को आराजी से बेदखल करने का मनमाना निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

यह कि खसरा नम्बर 253 रकबा 0.93 हेक्टयर आराजी पर अपीलांट क्रम 2 के पिता श्री लटूर 70–80 वर्ष पूर्व से काबिज काश्त होने से ही रेस्पोडेन्ट्स के पिता नारायण ने उक्त आराजी को लटूर से प्रतिफल राशि प्राप्त कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 22.3.1965 से अपने खातेदारी अधिकार निर्वासितकर दिये थे। उक्त आराजी पर मृतक नारायण एवं उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहने से अपीलान्ट्स के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित करना विधि विरूद्व होने से निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि विकेता खातेदार नारायण ने क्रेता को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.3.1965 से बेचान कर आराजी पर कब्जा क्रेता लटूर को सुपुर्द कर दिया था, क्रेता लटूरलाल एवं उसके वारिसान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 22.3.1965 से उक्त आराजी पर लगातार बदस्तूर बिना किसी अवरोध बाधा के 50 वर्षो से काबिज काश्त होने से धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। यह कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रक्रिया विहीन एवं विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकतरफा है जो दिनांक 30.9.2016 को पारित किया है जिसकी जानकारी दिनांक 19.10.2016 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा खेत पर आकर अपीलान्ट्स को आराजी से बेदखल करने के आदेश हो जाने बाबत् कहने पर हुई है इससे पूर्व उक्त निर्णय की अपीलान्ट्स को विधिवत कोई जानकारी नही हुई है। तब अपीलान्ट्स ने दिनांक 19.10.2016 को ही नकल निर्णय हेतु आवेदन किया। जिसकी नकल दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त होने से अपील अवधि मध्य पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू दिनांक 30.9.2016 निरस्त फरमाया जावे।

हमने प्रकरण मे अपीलान्ट्स के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 मे अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बउनवान प्रेम बनाम भीमसेन मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि :–

1. अपीलान्ट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.3.1965 को पूर्वजो द्वारा विवादास्पद आराजी क्रय करने का उल्लेख किया है। इस क्रम मे धारा 42 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत एस.सी. से एस.टी. को विक्रय शून्य माना गया है। तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) को अन्तर्गत धारा 175–आर.टी.एक्ट 1955 सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी अटरू) के समक्ष वाद दायर करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.7.2010 मे स्पष्ट रूप से अपीलांट की दिनांक 24.8.2016, 31.8.2016, 20.9.2016 एवं 30.9.2016 को सुनवाई करने का स्पष्ट उल्लेख है। जिसका प्रमाण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत विक्रय पत्र भी है, अतः यह तथ्य साबित नही होता कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलान्ट्स द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन, विधि द्वारा अपोषणीय होने से निरस्त की जाती है ओर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी अटरू) सक्षम न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करे एवं भूमि को सिवायचक घोषित करावे

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:42:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: